राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
111/16	24.05.2016	05.07.2018

अनुवान

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री रिछपाल जाति अहीर निवासी मउ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:–वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र श्री बिरजू जाति अहीर निवासी मउ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:–प्रतिवादी

दावा– अन्तर्गत धारा 111 एलआर एक्ट
व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से **श्री सत्यवीर यादव एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 05.07.2018 को **महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–
"हाल ख0नं0 247, 248 वाके ग्राम मउ तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार मुण्डावर को उक्त विवादित आराजीयात के बाबत टीम गठित कर पुलिस बल के साथ मौके पर पैमाईश कार्य पूर्ण कर साथ ही मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी को हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार किये जाने पैमाईश

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

एवं मुताबिक पैमाईश पत्थरगढी कार्य में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। पाबंद रहे।।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 05.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

05.07.18

(महेश चन्द्र [illegible]) उपखण्डाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं मुण्डावर (अलवर) राज०
पदेन सहायक मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner